रजिस्ट्री सं० डी- डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1976/वैशाख 7, 1898

No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1976/VAISAKHA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April 1976

S.O. 316(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, the Election Commission of India hereby extends the period within which a claim for the inclusion of a name, or an objection to an entry in the electoral roll for any of the parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir other than Ladakh, may be lodged upto and including 15 May, 1976 (Saturday).

[No. 23/J&K/76]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1976

का० आ० 316(अ).—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उस कालावधि को, जिसके दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में लद्दाख के सिवाय किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित कराने के लिए कोई दावा या उसकी किसी प्रविष्टि की बाबत कोई आक्षेप दाखिल किया जा सकता है, 15 मई, 1976 (शनिवार) तक जिसमें यह तारीख शामिल है, बढ़ाता है।

[सं० 23/जम्मू-कश्मीर/76]

आदेश से,

वी० नागासुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976